

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प 7(198)परि/नियम/मु/2006/पार्ट I


जयपुर, दिनांक:-01-10-2014

कार्यालय आदेश 28 A/2014

विषय:- कार्यालय आदेश 28/2014, दिनांक 01.10.2014 में संशोधन।

विशिष्ट पंजीयन क्रमांक आवंटित करने एवं पूर्व आवंटित पंजीयन क्रमांक को नये वाहन पर रिटेन करने की प्रक्रिया के संबंध में जारी किए गए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 28/2014 दिनांक 01.10.2014 के बिन्दु संख्या 1. को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"वाहनों की किसी भी श्रेणी में अग्रिम क्रमांक हेतु नयी सीरीज प्रारंभ होने की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में जन साधारण की जानकारी हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करवायी जावे।"



प्रमुख शासन सचिव  
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक:- प 7(198)परि/नियम/मु/2006/पार्ट I

जयपुर, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. मुख्यालय अधिकारीगण.....(समस्त)।
4. अपर परिवहन आयुक्त, जोन.....(समस्त)।
5. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी .....(समस्त)।
6. जिला परिवहन एवं पंजीयन अधिकारी .....(समस्त)।
7. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
8. रक्षित पत्रावली।



अपर परिवहन आयुक्त (नियम)